

and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No. 4) Bill, 1976, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 11th May, 1976, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

SIXTEENTH REPORT

SHRI B. K. DASCHOWDHURY (Cooch-Bihar): I beg to present the Sixteenth Report of the Committee on Government Assurances.

11.04 hrs

WORKMEN'S COMPENSATION (AMENDMENT) BILL—Contd.

MR. SPEAKER: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Raghunatha Reddy on the 18th May, 1976, namely:—

"That the Bill further to amend the Workmen's Compensation Act, 1923, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The time allotted for this Bill is two hours; time already taken is thirty minutes, the balance is one hour and thirty minutes.

श्री राम सिंह भाई (इंदौर) : श्रीमन्, जो संशोधन सदन में लाया गया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूँ। माननीय

मंत्री जी ने यह ठीक ही कहा था कि यह संशोधन निर्विवाद है और इस पर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। दर असल चीज बहुत अच्छी है, इसमें आलोचना करने की कोई गंजायश नहीं है—इस बात को मैं हृदय से मानता हूँ। फिर भी कुछ बातें इसके बारे में कही गई हैं जिनपर मंत्री जी को थोड़ा विचार करना चाहिए। इस मामले में मेरा जो विरोध है वह केवल एक ही है। जब से वेतन बढ़ने लगीं और वेतन के साथ साथ प्राइसेज बढ़ने लगे और उस समय 5 सौ रुपए से ज्यादा भी श्रमिकों के वेतन हुए तो उसी समय कंसल्टेटिव कमेटी में हमने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि ई एस आई और कम्पनसेशन एक्ट में संशोधन करने की बहुत आवश्यकता है। जब 5 सौ रुपये से ज्यादा रकम मजदूरों को मिलती है और एकसीडेंट होते हैं, उनकी जान भी जाती है तो उनको मुआविजा नहीं मिलता है। यह सवाल जनवरी, 1974 में उठा था। उसका कारण यह था कि अहमदाबाद में ऐसा एग्रीमेंट हुआ जिसके अन्तर्गत टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एवरेज पर वर्कर 50 रुपए बढ़ गए। इसी तरह से वेम्बई में भी ऐसा एग्रीमेंट हुआ जिसके अन्तर्गत एवरेज पर वर्कर 50 रुपए बढ़ गए। यह मैं डीयर्नेस एलाउन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। उनके बैसिक वेतन में ही इतनी बढ़ोतरी हुई। इसी तरह से साउथ इंडिया में सारा डीयर्नेस अलाउन्स का रेट चेंज किया गया। इस तरह वहाँ भी 5 सौ से ज्यादा मिलने पर जो लोग टुरवटना के कारण मरे उनको मुआविजा नहीं मिला मैंने इस सवाल को बार बार उठाया।

उसके बाद अब यह संशोधन यहाँ पर आया है। माननीय मंत्री जी ने अपने एस्टेटमेंट में कहा है कि इसका अमल अक्टूबर, 1975 में किया जायेगा। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि अक्टूबर, 1975 से ही